

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

77 / 2018
15-11-2018

गिर्राज पुत्र मंगला गुर्जर निवासी मण्डावर तह० टोंक जिला टोंक राज०
-अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला-टोंक राजस्थान

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय
तहसीलदार टोंक दिनांक 05.09.2018



उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 7-3-2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 3172 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 3175 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व अपीलान्त को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया ओर न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धन्तों की अवहेलना हुई है। अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अपीलान्त का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। न ही अपीलान्त भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा करेगा। अपीलान्त उक्त भूमि के बारे में कोई क्लैम भी नहीं करेगा। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर अपीलान्त को दोषी माना गया है, जबकि पटवारी हल्का से कास करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नोटिस से यह भी साबित नहीं है कि नोटिस किस दिनांक को जारी किया गया ओर कब अपीलान्त को दिया गया हैं इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ओर न ही अपीलान्त की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है।

पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलान्ट के खिलाफ की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 3172 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 3175 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर कब्जा कर तिल की फसल काश्त की है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3172 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 3175 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2018 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7-3-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आर.सी.डेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक